आदेश

पक्षा. त्रिपाठी. वकील प्रार्थी श्री अमरेश कुमार तिवारी ना करते पर वादी प्रार्थी का वाद व्यवहार न्यायालय के अनुसार अवमानना प्रार्थना पत्र ना कोई महत्व नहीं रह जाता है

अतः प्रार्थना पत्र वादी की स्तर पर खारिज किया जाता है पक्षा. जीतेन्द्र कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत

[illegible] नदबइ जरिये प्रबंधक

--2--

शिवकुमार

सचिन कुमार